

धारा-3 यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त वाहन की धनराशि मु0 3,00,000/- तीन लाख रुपये प्रथम पक्ष के वेतन खाता से चेक सं० 831741 द्वारा प्राप्त कर लिया है व प्रथम पक्ष को वाहन दे दिया है।

धारा-5 यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष न तो आपस में रिश्तेदार हैं और न ही निकट संबंधी और द्वितीय पक्ष का कोई मुकदमा प्रथम पक्ष के व्यायालय में नहीं चल रहा है।

धारा-6 यह कि दिनांक 27.05.2024 से पहले उपरोक्त वाहन सं0 पर अगर कोई चालान रहता है या किसी घटना में उपरोक्त वाहन संलिप्त पाया जाता है या कोई लोन होगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

धारा-7 यह कि दिनांक 27.05.2024 के बाद से उपरोक्त वाहन के चालान व घटना की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष आज के बाद वाहन अपने नाम करा ले इससे द्वितीय पक्ष को कोई उच्च नहीं होगा।

धारा-8 यह कि उभयपक्षों द्वारा यह बिक्रयनामा लिख दिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

Page No. 2 दिनांक 27.05.2024  
S. No. 7  
Dated 27.5.24  
Notary, Firozabad  
*[Signature]*

४० प्रथम पक्ष

ह० प्रथम पक्ष  
27/05/2019

ह० द्वितीय पक्ष

## ~~Stroboscopie~~ Impulsle.

गवाहन-

ग्रन्थ-१

9

मातृ

**ATTESTED**

